न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./983/20/अजमेर (2020/00983)

विभागीय अपील द्वारा श्री अनूप कुमार शर्मा ग्राम सेवक/पदेन सचिव पंचायत समिति पीसांगन जिला अजमेर के विरूद्ध आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर आदेश क्रमांक एफ( )जिपअ/संस्था/9320 दिनांक 29–11–2016 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री अनूप कुमार शर्मा ग्राम सेवक/पदेन सचिव पंचायत समिति पीसांगन जिला अजमेर।

निर्णय

दिनांकः– 27.01.2021

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर के आदेश दिनांक 29–11–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम एक पत्र क्रमाक 237 दिनांक 22–1–2015 मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या–एक

यह है कि आपके ग्राम पंचायत पीसांगन में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव पद पर कार्यरत रहने के दौरान ग्राम पंचा[illegible]स्थान में टयूब वेल, मोटर स्टॉटर, कबिल तथा हैण्डपम्प खुदाई [illegible] किये कार्य करवाया गया है तथा बिना मूल्यांकन कराये भुगतान [illegible] गया है। प्रकरण [illegible]सतर्कता समिति अजमेर में पंजीकृत होकर बैठक दि[illegible] 29–7–2011 में नि[illegible]हुआ है कि हैण्ड पम्प खुदाई एवं 3 ट्यूबवेल खुदाई कार्य हेतु खुली निविदाये आमंत्रित नहीं करने एवं खोदे गये हैण्ड पम्प व टयूबवेल का मूल्यांकन कराये बिना भुगतान

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:51 IST
Reason: SelfAttested

करने पर राशि रूपयें 80,556/– में से आधी राशि वसूल करने के के निर्देशाउपरान्त आप द्वारा राशि रूपये 40228/– रसीद संख्या 85 दिनांक 15–2–2013 से पंचायत कोष में जमा कराये गये। इस आधार पर संभागीय आयुक्त अजमेर ने अपने आदेश क्रमांक प–3/डी028/2014/अजमेर दिनांक 24–7–2014 से आपको दोषी माना है। इस प्रकार आपके द्वारा पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कोताही बरती है। जिसके लिये आप उत्तरदायी है।

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 6–1–2015 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोप को अस्वीकार किया गया। इनको व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया किन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, अजमेर ने अपीलार्थी का का प्रकरण जिला सर्तकता समिति, अजमेर में पंजीकृत होने पर दिनांक 29–7–2011 को पारित निर्णय अनुसार एवं उक्त प्रकरण में अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्र क्रमांक 2637 दिनांक 3–9–2014 एवं संभागीय आयुक्त अजमेर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संबंधित ग्राम सेवक के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश होने के उपरान्त अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर के उक्त दण्डादेश दिनांक 29–11–2016 को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज की जाकर अपचारी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अजमेर का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपचारी गाम सेवक को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर का आदेश दिनांक 29–11–2016 सीसीए नियमों के नियम 17 के तहत निहित विधिक प्रक्रिया की अक्षरशः पालना किये बिना दण्डादेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी व सरपंच द्वारा वसूली योग्य राशि 80556/– रूपयें रसीद संख्या 85/15–2–2013 द्वारा राशि 40228/– राजकोष में जमा करा दी गई है। उक्त प्रकरण में सरपंच द्वारा भी राशि जमा करा दी गई थी। उक्त प्रकरण में संभागीय आयुक्त के पत्रांक 9417 दिनांक 25–7–2014 एवं विभागीय अनुमोदन (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग) क्रमांक 3267 दिनांक 8–8–2014 द्वारा सरपंच को निलंबित कर दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रकरण में आदेश क्रमांक 4194 दिनांक 7–10–2014 से एवं विभागीय अनुमोदन (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग) पत्रांक 3267 दिनांक 8–8–14 को निरस्त कर दिया गया है तथा सरपंच को पुनः

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:51 IST.
Reason: SelfAttested

पद पर बहाल कर दिया गया था। उक्त प्रकरण में वसूली योग्य राशि अपीलार्थी एवं सरपंच दोनों द्वारा जमा करा दी गई थी तथा सरपंच को दोषमुक्त कर पद पर पुनः बहाल कर राज्य स्तर पर जांच समाप्त कर दी गई थी तथा संभागीय आयुक्त के आदेश क्रमांक 223 दिनांक 13–10–2014 से सरपंच को पुनः बहाल कर दिया गया है। अतः अपीलार्थी के भी जिला परिषद् अजमेर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 9320 दिनांक 29–11–2016 को अपास्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अपचारी कर्मचारी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि तत्कालीन समय में भीषण गर्मी का समय होने तथा पानी के लिए एस.एफ. सी/ईएफसी में राशि आवंटित की गई थी जिससे हैण्डपम्प व ट्यूबवैल खोदे जाने थे। समय कम होने एवं कार्य को जल्दी समाप्त करने के उद्देश्य से कॉटेशन के आधार पर हैण्डपम्प व ट्यूबवेल खोदे गये। तत्कालीन समय में लगभग सभी ग्राम पंचायतों में कॉटेशन के आधार पर हैण्डपम्प व ट्यूबवेल खोदे गये थे तथा हमारी दरे भी अन्य ग्राम पंचायतों की दरों एव बीएसआर दरों के समान ही थी। तत्समय सरपंच से राजनैतिक द्वेष रखने के कारण उक्त कार्यो की शिकायतें की गई थी। हमारे द्वारा लगभग सभी कार्य मौके पर करवाये गये थे जो जांच रिपोर्ट में अंकित है। उक्त कार्यो का बार–बार माप करने एवं कुछ स्थानों पर मिट्टी आने के कारण गहराई में अंतर आया था जिसका जिला जांच समिति द्वारा अन्तर राशि निकाली गई थी जो सरपंच एवं अपीलार्थी द्वारा राजकोष में जमा करा दी गई है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा वसूली राशि जमा करा दी गई है तथा सरपंच की भी अपील स्वीकार कते हुए पुनः बहाल कर दिया गया था। अतः अपीलार्थी को इस दण्डादेश से भविष्य में काफी आर्थिक नुकसान होगा। अपीलार्थी द्वारा उक्त समस्त कार्य जनहित में कराये गये है तथा भविष्य में अपीलार्थी द्वारा सावधानी बरती जायेगी। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 29–11–2016 अपास्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पर लगाये गये आरोप के संबंध में मुख्य कार्यकारी अध्किारी, जिला परिषद्, अजमेर से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसमें उनके द्वारा टिप्पणी अंकित कर कथन किया कि श्री अनुप कुमार शर्मा, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत पीसांगन के विरूद्ध ग्राम पंचायत पीसांगन में ट्यूब वैल, मोटर स्टॉटर, कबिल तथा हैण्डपम्प खुदाई में बिना टेण्डर आमंत्रित किये कार्य करवाने तथा उक्त कार्यों का बिना मूल्यांकन कराये भुगतान करने बाबत प्रकरण जिला सतर्कता समिति अजमेर में प्रस्तुत होने पर दिनांक 29–7–2011 को पारित निर्णय में राशि रूपये 80556/– की वसूली के निर्देशोपरान्त श्री अनुप शर्मा ग्राम सेवक द्वारा राशि रूपये 40228/– रसीद संख्या 85/15–2–2013 से पंचायत कोष में जमा कराये गये है। प्रकरण में अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:51 IST
Reason: SelfAttested

सचिव (प्रशा02) ग्रामीण विकास एवं प्रचायती राज विभाग (पंचायत राज) के पत्रांक एफ 13 (811)परावि/प्रशा02/ग्रा0से0/ जांच/ अजमेर/13/2637 दिनांक 3–9–2014 के द्वारा संभागीय आयुक्त अजमेर से प्राप्त जांच प्रस्ताव की प्रति भिजवाया जाकर संबंधित ग्राम सेवक के विरूद्व कार्यवाही के निर्देश उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 13879 दिनांक 26–9–2014 से सीसीए 17 के तहत आरोप पत्र जारी किये गये एवं आरोपी के द्वारा दिनांक 6–1–2015 को जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में आरोपी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। लेकिन आरोपी उपस्थित नहीं हुआ था। प्रकरण जिला स्थापना समिति की बैठक दिनांक 28–9–2016 में विचारार्थ रखे जाने पर समिति द्वारा पारित निर्णय संख्या 4(4) की अनुपालना में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ ( )जिपअ/संस्था/9320 दिनांक 29–11–2016 के द्वारा श्री अनुप कुमार शर्मा को दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अपील में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को जारी आरोप पत्र व अपचारी ग्राम सेवक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी ग्राम सेवक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि अपीलार्थी के विरूद्व विचाराधीन प्रकरण जिला स्थापना समिति की बैठक दिनांक 28–9–2016 में विचारार्थ रखे जाने पर समिति द्वारा पारित निर्णय संख्या 4(4) की अनुपालना में तथा प्रकरण जिला सतर्कता समिति अजमेर में दिनांक 29–7–2011 को पंजीकृत होने के उपरान्त पारित निर्णय अनुसार अपीलार्थी से राशि रूपये 80556/– की वसूली के निर्देश दिये गये जिसकी पालना में अपीलार्थी श्री अनुप शर्मा ग्राम सेवक द्वारा 40228/– रूपये रसीद संख्या 85 दिनांक 15–2–2013 से पंचायत कोष में जमा करा दिये गये है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में उक्त प्रकरण में संभागीय आयुक्त, अजमेर के पत्रांक 9414 दिनांक 25–7–2014 एवं विभागीय अनुमोदन (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग) [illegible] 3267 दिनांक 8–8–2014 द्वारा सरपंच को निलंबित कर दिया [illegible] द्वारा उक्त प्रकरण में आदेश क्रमांक 4194 दिनांक 7–10–2014 [illegible] आदेश क्रमांक 3267 दिनांक 8–8–14 एवं संभागीय आयुक्त का आदेश [illegible]ांक 24–7–2014 को निरस्त कर दिया गया है तथा सरपंच को पुनः पद पर बहाल कर दिया गया था। उक्त प्रकरण में वसूली योग्य राशि अपीलार्थी एवं सरपंच दोनों ही द्वारा जमा करा दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:51 IST
Reason: SelfAttested

गई है तथा सरपंच को दोषमुक्त कर पद पर पुनः बहाल कर राज्य स्तर पर जांच कार्यवाही समाप्त कर दी गई है। उक्त प्रकरण में जब सरपंच को ही बहाल कर दिया गया है तथा पंचायत कोष में अपीलार्थी व सरपंच द्वारा राशि जमा करा दी गई है तो अपीलार्थी को इतने वृहद दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित नहीं है।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि सरपंच व ग्राम सेवक द्वारा कराये गये हैण्ड पम्प व ट्यूब वैल खुदाई का मूल्यांकन का कार्य सहायक अभियन्ता का होता है। सहायक अभियन्ता को समय पर मूल्यांकन करना चाहिए था। तत्समय में जनहित को देखते हुए अपीलार्थी श्री अनुप कुमार शर्मा ग्राम सेवक द्वारा भीषण गर्मी तथा समय कम होने तथा कार्य को जल्दी समाप्त करने के उद्देश्य से कॉटेशन के आधार पर ट्यूबवेल व हैण्डपम्प खुदवाए गये थे। अपीलार्थी द्वारा मौके पर सभी कार्य कराया गया है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। खोदे गये ट्यूब वैल व हैण्ड पम्प में बार–बार माप करने एवं मिट्टी आने के कारण गहराई में अन्तर आना सवभाविक हो सकता है। जिला जांच समिति द्वारा अन्तर राशि निकाली गई थी जो अपीलार्थी द्वारा पंचायत कोष में जमा करा दी गई है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा वसूल योग्य राशि पंचायत कोष में जमा कराने एवं राज्य सरकार द्वारा सरपंच को बहाल कर दिये जाने के पश्चात अपीलार्थी को इतने वृहद दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इस संबंध में अपीलार्थी पर लगाये गये आरोप एवं इन आरोपों के आधार पर दण्ड बहाल रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् अजमेर द्वारा पारित दण्डादेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपचारी श्री अनुप कुमार शर्मा, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव पीसांगन की अपील स्वीकार की जाती है तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन दण्डादेश क्रमांक एफ ( )जिपअ/संस्था/9320 दिनांक 29–11–2016 विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किया जाता है ।

(डॉ0 वीना प्रधान),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:51 IST
Reason: SelfAttested